

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 जून 2011—ज्येष्ठ 31, शक 1933

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जून 2011

फा. क्र. 84 (1)-वि. निर्वा.-2011-चार-116.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576/एक्जिट/2011/एस.डी.आर., दिनांक 10 जून, 2011 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

प्रेमचन्द मीना, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2011

अधिसूचना

सं. 576-एक्जिट-2011-एस.डी.आर.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त धारा की उप-धारा (2) खण्ड (ख) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए आयोग एतद्वारा दिनांक 25 जून 2011 (शनिवार) को पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.30 बजे तक के समय को ऐसे समय के रूप में अधिसूचित करता है, जिसके दौरान आयोग के दिनांक 27 मई 2011 के प्रेस नोट द्वारा मध्यप्रदेश में 56-जबेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और बिहार में 62-पूर्णियां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में घोषित किए गए उप निर्वाचनों के संबंध में किसी भी मामले में किसी प्रकार का निर्गम मतानुमान का सर्वेक्षण करवाना या किसी भी मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रचार करना निषिद्ध होगा.

यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन पूर्वोक्त उप निर्वाचनों के संबंध में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी मत सर्वेक्षण का परिणाम या अन्य किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण सहित निर्वाचन से संबंधित किसी भी सामग्री का प्रदर्शन करने पर 23 जून 2011 की सांय 5 बजे से 48 घंटों की अवधि के लिये रोक लगा दी जाएगी.

आदेश से,

हस्ता./-

(के. एफ. विल्फ्रेड)

प्रमुख सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 10th June, 2011

NOTIFICATION

No. 576-EXIT-2011-SDR.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 126A of the Representation of the People Act, 1951, and having regard to the provisions of clause (b) of sub-section (2) of the said Section, the Commission hereby notifies the period between 8.00 A.M. and 5.30 P.M. on 25th June 2011 (Saturday), as the period during which conducting any exit poll or disseminating in any manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the bye-elections announced *vide* the Commission's Press Note dated 27th May 2011, from 56-Jabera Assembly Constituency in Madhya Pradesh and 62-Purnia Assembly constituency in Bihar would be prohibited.

It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the Representation of the People Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours commencing from 5 P.M. on 23rd June 2011, in connection with aforesaid bye-elections.

By order,

Sd./-

(K. F. WILFRED)

Principal Secy.,

Election Commission of India.